/9-4,

स्वामी

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2
संख्या– 2228/X–2–2012–19(37)/2003
देहरादूनः दिनांक 10 दिसम्बर, 2012

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके वन्य जीवों द्वारा जान–माल को क्षति पहुँचाये जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने एवं इसका त्वरित भुगतान सुनिश्चित किये जाने के निमित्त निम्नलिखित नियमावली बनाते है, अर्थात्–

मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली, 2012

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली, 2012 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी, परन्तु नियमावली के नियम 8 में अंकित अनुग्रह राशि की भुगतान की दरें दिनांक 03 नवम्बर, 2012 से लागू मानी जायेगी।

परिभाषाएं

2. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,

(एक) 'सरकार' से 'उत्तराखण्ड राज्य की सरकार' अभिप्रेत है;

(दो) 'केन्द्रीय सरकार' से 'भारत सरकार' अभिप्रेत है;

(तीन) 'राज्यपाल से 'उत्तराखण्ड के राज्यपाल' अभिप्रेत है;

(चार) 'वन क्षेत्र' से 'भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत घोषित वन भूमि एवं समय–समय पर भारत के मा0 उच्चतम न्यायालय एवं उत्तराखण्ड राज्य के मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों से वन की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाली भू–क्षेत्र' अभिप्रेत है;

(पांच) 'निधि' से 'मावन वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि' अभिप्रेत है;

(छः) 'वन निगम' से 'उत्तराखण्ड वन विकास निगम' अभिप्रेत है;

(सात) 'कैम्पा' से राज्य सरकार द्वारा गठित 'उत्तराखण्ड कैम्पा' अभिप्रेत है;

(आठ) 'अनुग्रह राशि' से 'वन क्षेत्र तथा उसके आस–पास के क्षेत्र में वन्य जीवों द्वारा जानमाल की क्षति की दशा में क्षतिपूर्ति के रूप में देय आर्थिक सहायता' अभिप्रेत है;

(नौ) 'प्रभागीय वनाधिकारी' से 'राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी वन प्रभाग के प्रभारी

और उस क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी' से अभिप्रेत है;

(दस) 'उप निदेशक' से 'राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव अभ्यारण्य का उप निदेशक' अभिप्रेत है;

(ग्यारह) 'मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक' से 'वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 की धारा 4(1)(a) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा घोषित प्राधिकृत अधिकारी' अभिप्रेत है;

(बारह) 'तहसीलदार' से 'राजस्व विभाग के अन्तर्गत तहसीलदार' अभिप्रेत है;

(तेरह) 'राजस्व निरीक्षक/पटवारी' से 'राजस्व विभाग के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक/पटवारी' अभिप्रेत है;

(चौदह) 'वन्य जीवों' से 'इस नियमावली का तात्पर्य बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ (स्नो लेपर्ड), जंगली हाथी, एशियाई काला भालू, हिमालयन भूरा भालू, स्लॉथ भालू, जंगली सुअर, लकड़बघा, मगरमच्छ/घड़ियाल, चीतल, काकड़, साम्बर, नील गाय, बन्दर व साँप' से एवं राज्य सरकार द्वारा उस उद्देश्य से समय–समय पर विशेषतः घोषित वन्य जीव अभिप्रेत है;

(पन्द्रह) 'कृषि फसल' से 'राजस्व विभाग द्वारा परिभाषित कृषि फसल' अभिप्रेत है;

(सोलह) 'आश्रित' का अभिप्राय सम्बन्धित व्यक्ति के पति/पत्नी, बच्चे, माता/पिता, निकटतम सम्बन्धी अथवा ऐसे व्यक्ति से होगा जिनको किसी भी अभिलेख में सम्बन्धित व्यक्ति का आश्रित घोषित किया गया हो;

(सत्राह) 'वन अधिकारी' का अभिप्राय वन विभाग में कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से होगा जिनका पद वन आरक्षी से न्यून नहीं है;

(अठ्ठाराह) 'वन कार्यालय' का अभिप्राय वन विभाग के किसी भी कार्यालय से होगा जिसमें वन आरक्षी चौकी इत्यादि भी सम्मिलित है;

(उन्नीस) 'ग्राम प्रधान' का अभिप्राय ग्राम सभा के ग्राम प्रधान से होगा;

(बीस) 'सरपंच' का अभिप्राय वन पंचायत के सरपंच से होगा।

निधि का गठन 3. मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में जानमाल की क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु राज्य सरकार के बजट, केन्द्रीय सरकार की सहायता, कैम्पा योजना, वन निगम से अनुदान, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, विभिन्न संस्थाओं आदि से इस उद्देश्य हेतु प्राप्त धनराशि को निधि में संचित किया जायेगा।

निधि का प्रशासन 4. (1) निधि की एक कार्यकारिणी होगी, जो निधि के कार्य कलापों का प्रबन्ध करेगी एवं इस नियमावली के अधीन या उनके द्वारा सौंपे गये कार्यो का निष्पादन करेगी।

(एक) प्रमुख वन संरक्षक – अध्यक्ष

(दो) मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक – उपाध्यक्ष

(तीन) प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण

द्वारा नामित संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर के अधिकारी – सदस्य

(चार) मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल मण्डल – सदस्य

(पांच) मुख्य वन संरक्षक कुमांऊ मण्डल – सदस्य

(छ) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम – सदस्य

(सात) मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड कैम्पा – सदस्य

(आठ) वित्त नियंत्रक, वन विभाग – सदस्य

(नौ) अपर प्रमुख वन संरक्षक नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन – सदस्य सचिव

निधि का वितरण व रख–रखाव

5. (1) नियम 3 के अधीन गठित निधि को ब्याज अर्जित (Interest Bearing) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में रखा जायेगा। इस निधि का खाता उसी बैंक में खोला जायेगा जहां पर NEFT व RTGS की सुविधा उपलब्ध हो। बैंक खाता अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड के नाम होगा तथा उन्हीं के हस्ताक्षर से संचालित होगा। इस मुख्य बैंक खाते के विभिन्न वन प्रभाग वार शीर्षक खाते खोले जायेगे। अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड द्वारा सम्बन्धित प्रभाग के शीर्षक खाते में वन्य जीवों द्वारा जान–माल को पहुंचायी गयी क्षति के सापेक्ष अनुग्रह धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

नोटः NEFT-National Electronic Fund Transfer RTGS-Real Time Gross Settlement

(2) इस निधि के गठन हो जाने व संचालित होने के एक माह के अन्दर उपरोक्तानुसार गठित समस्त वन प्रभागों के शीर्षक खातो में धनराशि ₹ 20.00 लाख उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बन्धित वन प्रभागों के द्वारा अनुग्रह धनराशि का भुगतान इस धनराशि से की जायेगी। प्रत्येक घटना में अनुग्रह राशि के भुगतान के पश्चात सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड को स्वीकृति पत्र की एक प्रति उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके पश्चात पत्र प्राप्ति के दो दिन के अन्दर अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड द्वारा सम्बन्धित वन प्रभाग के शीर्षक खाते में भुगतान की गयी अनुग्रह राशि के समान धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। किसी भी दशा में उक्त वन प्रभागों के शीर्षक खाते में ₹ 20.00 लाख धनराशि की सीमा को अनुरक्षित किया जायेगा।

(3) किसी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा निधि में धनराशि दान किये जाने पर सम्बन्धित संस्था/व्यक्ति को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आयकर से छूट प्रदान किये

जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार का आवेदन करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(4) उपरोक्त गठित कार्यकारणीय समिति को यह अधिकार होगा कि किसी भी प्रकरण में अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु पृथक से जांच कर सकता है एवं अनियमितायें पाये जाने पर भुगतान प्रक्रिया रोकी जा सकती है।

अनुग्रह राशि का हकदारी

6. (1) अनुग्रह राशि की हकदारी निम्नलिखित स्थितियों में होगी —
बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ (स्नो लेपर्ड), जंगली हाथी, तीनों प्रजाति के भालू, लकड़बघा, जंगली सुअर, मगरमच्छ/घड़ियाल, साँप के आक्रमण से मृत्यु, घायल या विकलांग होने पर;

(2) बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ (स्नो लेपर्ड), तीनों प्रजाति के भालू, लकड़बघा, जंगली सुअर तथा मगरमच्छ/घड़ियाल, सांप द्वारा पालतू पशुओं को मारे जाने की क्षति;

(3) जंगली हाथी, जंगली सुअर, नील गाय, काकड़, साँबर, चीतल तथा बन्दरों द्वारा फसलों की क्षति; तथा

(4) जंगली हाथियों द्वारा मकान को क्षति।

अनुग्रह राशि के हकदारी का गैर कानूनी होना

7. जंगली जानवरों द्वारा मानव क्षति पर दिये जाने वाले क्षतिपूर्ति के लाभ/प्रलोभन में परिवारिक सदस्यों द्वारा अथवा परिवार से भिन्न व्यक्तियों द्वारा किसी वृद्ध मनुष्य, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अयोग्य (मेडिकल अनफिट), विकलांग अथवा मानसिक रूप से असंतुलित तथा अवयस्क किसी मानव को अकेले जंगल में छोड़ दिये जाने एवं जंगली जानवरों द्वारा ऐसे मानवों को क्षति पहँचाये जाने पर अनुग्रह राशि का दावा गैर कानूनी होगा। क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत दावों के 'गैर कानूनी होना' की पुष्टि होने पर ऐसे दावा प्रस्तुत करने वाले के विरूद्ध F.I.R (प्राथमिकी) दर्ज कराते हुए दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अनुग्रह राशि की भुगतान की दरे

8. (1) नियम 6 के उपनियम (1) में उल्लिखित वन्य जीवों द्वारा क्षति पहुंचाने पर अनुग्रह राशि की दरें निम्नवत् होंगी:—

क्षति का प्रकार	अनुग्रह राशि हेतु दरें (₹ में)
साधारण रूप से घायल	15,000/—
गम्भीर रूप से घायल	50,000/—
आंशिक रूप से अपंग	100,000/—
पूर्ण रूप से अपंग	200,000/—
वयस्क व अवयस्क की मृत्यु पर	300,000/—

(2) नियम 6 के उपनियम (2) में उल्लिखित वन्य जीवों द्वारा क्षति पहुंचाये जाने पर अनुग्रह राशि की दरें निम्नवत् होंगी:–

पशु का प्रकार	अनुग्रह राशि हेतु दरें (₹ में)
गाय	15,000/–
घोड़ा, खच्चर	40,000/–
बैल (03 वर्ष से अधिक आयु)	15,000/–
भैंस (03 वर्ष से अधिक आयु)	15,000/–
गाय का बछड़ा/बछिया तथा भैंस का पडुवा/पड़िया	
(क) दो वर्ष से अधिक तथा तीन वर्ष से कम आयु	2,000/–
(ख) एक वर्ष से दो वर्ष की आयु	1,000/–
(ग) एक वर्ष से कम आयु तक	5,00/–
बकरी/भेड़	3,000/–

(3) नियम 6 के उपनियम (3) में उल्लिखित वन्य जीवों द्वारा क्षति पहुंचाये जाने पर अनुग्रह राशि की दरें निम्नवत् होंगी:–

कृषि फसल का प्रकार	क्षति की मात्रा	अनुग्रह राशि हेतु दरें (₹ में)
गन्ना	सम्पूर्ण फसल	25,000/– प्रति एकड़
धान/गेहूं/तिलहन	सम्पूर्ण फसल	15,000/– प्रति एकड़
उपरोक्त फसलों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर	सम्पूर्ण फसल	8,000/– प्रति एकड़

(4) जंगली हाथियों द्वारा मकान को क्षति पहुंचाये जाने की दशा में देय अनुग्रह राशि की दरें निम्नवत् होंगी:–

मकान का प्रकार	क्षति की मात्रा	अनुग्रह राशि हेतु दरें (₹ में)
कच्चा मकान	पूर्ण रूप से	25,000/–
कच्चा मकान	आशिंक रूप से	20,000/–
झोपड़ी, टट्‌र से निर्मित आवास क्षतिग्रस्त होने पर		5,000/–
पक्के मकान की	चहारदीवारी हेतु	15,000/–

चहारदीवारी की क्षति तथा पक्के मकान की आंशिक क्षति	आंशिक एवं पूर्ण क्षति पर तथा पक्के मकान की आंशिक क्षति पर	
पक्का मकान	पूर्ण क्षति	50,000/–

अनुग्रह राशि की भुगतान की प्रक्रिया

9\. 1. नियम 6 के उपनियम (1) में उल्लिखित वन्य जीवों द्वारा क्षति पहुंचाये जाने पर अनुग्रह राशि की भुगतान की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी :–

(एक) वन्य जीवों द्वारा मारे जाने, अपंग करने अथवा घायल कर दिये जाने पर पीड़ित व्यक्ति/सम्बन्धित आश्रित की पुष्टि प्रथमतः घटना क्षेत्र के ग्राम प्रधान अथवा किसी वर्तमान में पदासीन जनप्रतिनिधि एवं सम्बन्धित क्षेत्र के वन रक्षक द्वारा संयुक्त रूप से कर दिये जाने के आधार पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा निधि से घटना विशेष में आंकलित कुल देय धनराशि का 30% धनराशि अग्रिम के रूप में पीड़ित व्यक्ति/सम्बन्धित आश्रित को जानमाल की क्षति की घटना की सूचना प्राप्त होने से सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़ते हुये अधिकतम 48 घंटे के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी। अवशेष धनराशि अन्तिम जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर देय होगी।

(दो) अन्तिम जॉच रिपोर्ट में वन्य जीवों द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति के मारे जाने/अपंग करने/घायल करने की पुष्टि नहीं होती है, तो सम्बन्धित पीड़ित व्यक्ति/आश्रित को प्रदान की गयी अग्रिम धनराशि की वसूली राजस्व वसूली के रूप में की जायेगी। इस सम्बन्ध में नियमावली के नियम 4 के उपनियम (2) के अनुसार गठित समिति के द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। अंतिम जांच रिपोर्ट में इस तथ्य की जांच भी अनिवार्य रूप से की जायेगी की अनुग्रह राशि का दावा पूर्णतः कानूनी है एवं दावा गैर कानूनी होने पर नियमावली के नियम 7 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(तीन) वन्य जीवों द्वारा मारे जाने, अंपग करने अथवा घायल कर दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य के चिकित्सक द्वारा इस सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र दिया जायेगा, जिसके उपरान्त सम्बन्धित सहायक वन संरक्षक/वन्य जीव प्रतिपालक की अन्तिम जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा देय अनुग्रह राशि को स्वीकृत करने तथा भुगतान करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा सम्पूर्ण विवरण के साथ निश्चित रूप से सूचना मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्रेषित की जायेगी।

(चार) अन्तिम जॉच रिपोर्ट घटना के 15 दिन के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

(पांच) अनुग्रह राशि का अन्तिम भुगतान करने से पूर्व मृतक होने वाले व्यक्तियों के आश्रितों के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी से प्रमाण—पत्र प्राप्त किया जायेगा।

2. नियम 6 के उपनियम (2) में उल्लिखित वन्य जीवों द्वारा क्षति पहुंचाये जाने पर अनुग्रह राशि की भुगतान की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी:—

(एक) वन्य जीवों द्वारा पालतू पशुओं/मवेशी के मारे जाने पर प्रथमतः इसकी पुष्टि ग्राम प्रधान अथवा वर्तमान में पदासीन किसी जनप्रतिनिधि द्वारा कर दिये जाने के उपरान्त ही मारे गये मवेशी के मृत शरीर को घटना स्थल से हटाया जायेगा। मृत मवेशी के शव पर किसी प्रकार का विष अथवा कीटनाशक पदार्थ डाले जाने और किसी भी प्रकार से मवेशी के शव से छेड़—छाड़ किये जाने की दशा में अनुग्रह राशि देय नहीं होगी।

(दो) मवेशी के स्वामी द्वारा मवेशी के मारे जाने की सूचना घटना के दो दिन के अन्दर सम्बन्धित रेंज कार्यालय में लिखित रूप से देनी होगी।

(तीन) वन्य जीवों द्वारा पालतू पशुओं/मवेशी को मारे जाने की पुष्टि प्रथमतः घटना क्षेत्र के ग्राम् प्रधान अथवा वर्तमान में पदासीन किसी जनप्रतिनिधि एवं सम्बन्धित क्षेत्र के वन रक्षक द्वारा संयुक्त रूप से कर दिये जाने के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा अपने पास उपलब्ध निधि से घटना विशेष में आंकलित कुल देय धनराशि का 20% धनराशि अग्रिम के रूप में मवेशी के स्वामी को उपलब्ध करायी जायेगी। अवशेष धनराशि अन्तिम जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर देय होगी। यदि अन्तिम जॉच रिपोर्ट में वन्य प्राणी द्वारा मवेशी के मारे जाने की पुष्टि नहीं होती है, तो मवेशी के स्वामी को प्रदान की गयी अग्रिम धनराशि की वसूली राजस्व वसूली के रूप में की जायेगी।

(चार) वन्य जीवो द्वारा मवेशी को मारे जाने का प्रमाण पत्र संबधित रेंज अधिकारी द्वारा दिया जायेगा, जिसके उपरान्त सम्बन्धित सहायक वन संरक्षक/वन्य जीव प्रतिपालक की अन्तिम जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक को देय अनुग्रह राशि को स्वीकृत करने तथा भुगतान करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा सूचना सम्पूर्ण विवरण के साथ सूचना निश्चित रूप से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्रेषित की जायेगी।

(पांच) अन्तिम जॉच रिपोर्ट घटना के एक माह के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

3. नियम 6 के उपनियम (3) में उल्लिखित वन्य जीवों द्वारा क्षति पहुंचाये जाने पर अनुग्रह राशि की भुगतान की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी:—

घटना की सूचना, दो दिन के अन्दर स्थानीय वन अधिकारी को लिखित रूप से देनी होगी। इसके उपरान्त सम्बन्धित घटना क्षेत्र के तहसीलदार/पटवारी व स्थानीय वन अधिकरी द्वारा संयुक्त रूप से फसलों की क्षति का सत्यापन एवं आंकलन कर जांच रिपोर्ट रेंज अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित सहायक वन संरक्षक/वन्य जीव प्रतिपालक को उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बन्धित सहायक वन संरक्षक/वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा अन्तिम जांच रिपोर्ट घटना के दो माह के अन्दर अनिवार्य रूप से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक को प्रस्तुत की जायेगी। अन्तिम जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक प्रकरण में देय अनुग्रह राशि को स्वीकृत करने व भुगतान करने का पूर्ण अधिकारी होगा। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा सम्पूर्ण विवरण के साथ सूचना निश्चित रूप से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्रेषित की जायेगी।

4. जंगली हाथियों द्वारा मकान को क्षति पर अनुग्रह राशि की भुगतान की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी :—

(एक) घटना की सूचना दो दिन के अन्दर सम्बन्धित रेंज कार्यालय में लिखित रूप से देनी होगी। जिसकी पुष्टि वन दरोगा अथवा उप वन क्षेत्राधिकारी द्वारा तत्काल कर लिया जायेगा।

(दो) क्षति का आंकलन सम्बन्धित क्षेत्र के नायब तहसीलदार एवं रेंज अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से कर लिये जाने पर जॉच रिपोर्ट सहायक वन संरक्षक/वन्य जीव प्रतिपालक को उपलब्ध करायी जायेगी, जिनके द्वारा मामले में अन्तिम जॉच करते हुये अन्तिम जॉच रिपोर्ट एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक को प्रस्तुत किया जायेगा। अन्तिम जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा प्रकरण में देय अनुग्रह राशि को स्वीकृत करने व भुगतान करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा सम्पूर्ण विवरण के साथ सूचना निश्चित रूप से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्रेषित की जायेगी।

निधि कार्यालय का वित्त पोषण

10. निधि में जमा धनराशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज से निधि में ही सम्मलित किया जायेगा। निधि का अधिकतम 03 प्रतिशत धनराशि इस निधि के संचालन हेतु नियमावली के नियम 4 में गठित समिति की देख–रेख में विभिन्न प्रभागीय कार्यालयों में प्रशासनिक व्यय के रूप में व्यय किया जायेगा।

लेखा सम्परीक्षा	11.	निधि का लेखा सम्परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन महालेखाकार द्वारा अथवा उनके द्वारा नामित संस्था द्वारा किया जायेगा।
प्रतिवेदन	12.	निधि के कार्य–कलापों के प्रशासन तथा निधि के लेखों के सम्बन्ध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक वर्ष के दिनॉक 15 अप्रैल तक अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिये निधि की कार्यकारिणी उत्तरदायी होगा।
राज्य सरकार की लेखा एवं सूचनायें मॉगने की शक्ति	13.	राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी सूचनायें एवं लेखे कभी भी मॉग सकती है, जो उसके विचार से उन्हें युक्तियुक्त रूप से संतुष्ट करने के लिये आवश्यक हो, एवं कार्यकारिणी तथा प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड ऐसी अपेक्षा पर तत्काल राज्य सरकार को सूचनायें एवं लेखा प्रस्तुत करेगी।
नियमों के प्रर्वतन में कठिनाइयों का दूर किया जाना	14.	नियमावली के प्राविधानों के प्रर्वतन में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा कठिनाई दूर कर सकती है, जो इस नियमावली से असंगत न होगी।
निरस्न और अपवाद	15.	इस नियमावली के प्रवृत्त होने पर इनके तद्नुरूप समस्त नियम/शासनादेश जो इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त हो, निरसित हो जायेगें : परन्तु यह कि इस प्रकार निरसित किसी नियम/शासनादेश के अधीन कृत किसी कार्य या कार्यवाही जो पूर्ण हो चुकी हो, को इस नियमावली के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(एस0 रामास्वामी)

प्रमुख सचिव